खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है	कार्यान्वयन करने वाले पदाधिकारी का पदनाम
1	**राशन कार्ड से संबंधित मामलें**	**1.1 नया राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया** ❖ लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र **'क'** में भरा जाएगा। ❖ राशन कार्ड में संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र **'ख'** में भरा जाएगा। **RTPS Counter के माध्यम से** (i). प्रखंड/अंचल के RTPS counter पर पूर्ण भरा हुआ प्रपत्र जमा किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रप्त आवेदनों को जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित (अधिकतम 15 कार्य दिवस के अंदर) किया जाएगा। (ii). अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नये राशन कार्ड का निर्गमन (योग्य पाए जाने पर अधिकतम 15 कार्य दिवस के अंदर) किया जाएगा। **Online माध्यम से** आवेदक राशन कार्ड संबंधी आवेदन RCMS portal (rconline.bihar.gov.in) पर भी कर सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित हैं– 1. Registration 2. Login 3. Add Applicant Details 4. Add Member Details 5. Upload Documents (self attested) 6. Final Submission प्रप्त आवेदनों को SDO द्वारा Field Verification हेतु संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी (MO) को भेजा जाएगा। MO login में आवेदन Field Verification के लिए प्रदर्शित होगा, जिसे संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी द्वारा Field Verification कर SDO Login में Forward किया जाएगा। SDO Login से Finally approve होकर नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा।	पात्र लाभुक	संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी

		1.2 राशन कार्ड का उपान्तरण/रद्दीकरण की प्रक्रिया– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत राशन कार्ड में उपान्तरण/रद्दीकरण करने के लिए प्राधिकृत है। **1.3 राशन कार्ड को पॉस मशीन पर सक्रिय करने की प्रक्रिया–** राशन कार्ड को पॉस मशीन पर सक्रिय करने हेतु ePOS Server पर Data Sync./Incremental Change Statement की आवश्यकता होती है, जिसे नियमित रूप से NIC द्वारा संपादित किया जाता है।		

2	**जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति**	1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्र लाभुकों को अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को कुल 35 किलो खाद्यान्न (वर्त्तमान में 07 किलो गेहूँ एवं 28 किलो चावल) तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी श्रेणी अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को कुल 5 किलो खाद्यान्न (01 किलो गेहुँ एवं 4 किलो चावल) प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। 2. भारत सरकार से प्राप्त त्रैमासिक आवंटन के अनुरूप राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अच्छादित ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 1 लीटर एवं राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के झुग्गी–झोपड़ी, छात्रावास, रैन–बसैरा, दलित कॉलोनी इत्यादि में वितरण हेतु प्रत्येक ठेला भेण्डर को प्रतिमाह 200 लीटर केरोसीन तेल उपलब्ध कराया जाता है।	पात्र लाभुक	पणन पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी

3	**अधिप्राप्ति कार्यक्रम**	1. बिहार राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। 2. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए नोडल अभिकरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम नियुक्त है तथा अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडलों का चयन किया गया है। 3. सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर क्रय केन्द्र की स्थापना कर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान/गेहूँ का क्रय किया जाता है तथा क्रय किये गये धान को जिला टास्क फोर्स द्वारा चयनित एवं अनुमोदित चावल मिलों से अग्रिम चावल प्राप्त कर नोडल अभिकरण द्वारा स्थापित चावल संग्रहण केन्द्रों पर गुणवत्ता के जॉचोपरान्त जमा किया जाता है तथा उक्त मात्रा के परिप्रेक्ष्य में मिलरों को धान की मात्रा उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार चक्रिय व्यवस्था के तहत अधिप्राप्त धान की मिलिंग व्यवस्था सम्पन्न की जाती है। 4. इसी प्रकार पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा को नोडल अभिकरण द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर गुणवत्ता के जॉचोपरान्त जमा किया जाता है। 5. पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान/गेहूँ की मात्रा के आलोक में नोडल अभिकरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा किसानों के खातों में क्रय के 48 घंटो के अंदर ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था की गयी है। 6. अधिप्राप्ति से संबंधित सभी कार्रवाई यथा किसानों का निबंधन, किसानों से धान का क्रय, भुगतान संबंधी विपत्र/एडवाईस समितियों द्वारा मिलरों को धान का प्रेषण, ट्रक चालान, पैक्स द्वारा मिलर से चावल की प्राप्ति एवं चावल संग्रहण केन्द्रों पर चावल का प्रेषण आदि सभी कार्य ऑनलाईन सम्पन्न किया जाता है। साथ ही अधिप्राप्ति से संबंधित सभी प्रकार का भुगतान ऑनलाईन भुगतान निर्गत आदेश के आलोक में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।		जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी

4	**जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधी परिवाद**	बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अधीन उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। आवेदन प्राप्त करने एवं अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया :– 1. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–9(viii) के तहत प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेगें। 2. तत्पश्चात् जिला–स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना–पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा। 3. दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत् निष्पादन करते हुए जिला–स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी। 4. अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरूद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेगें। सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। 5. वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। 6. जिला–स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।		अनुमंडल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी